01 बेहतर निवेश की योजना
Better Investment Planning

1. निवेश क्यों करें ? (Why to Invest ?)

सर्वप्रथम निवेश करने के अपने उद्देश्य को निम्न में से चिन्हांकित करें :–

(अ)	आकस्मिक आवश्यकताएं (Unexpected events)	(1)	दुर्घटना से असामायिक निधन।
		(2)	स्वयं या परिवार जनों के गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना।
		(3)	प्राकृतिक आपदा।
(ब)	संभावित आवश्यकताएं (Expected events)	(1)	इनकम टैक्स बचाने के लिये।
		(2)	धनवृद्धि एवं धन की सुरक्षा हेतु।
		(3)	निश्चित उद्देश्य जैसे बच्चों के विवाह, शिक्षा, व्यवसाय,मकान, वाहन, घरेलू उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए आदि।
		(4)	मासिक आय प्राप्त करने के लिए।
		(5)	वृद्धावस्था में पेंशन/मासिक आय प्राप्त करने के लिए।

निवेश के मूल नियम के तहत व्यक्ति को सर्वप्रथम आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निवेश करना चाहिए।

2. निवेश कहां करें ? (Where to Invest ?)

निवेश के उद्देश्य का चिन्हांकन करने के पश्चात उक्त उद्देश्यों का पूरा करने वाली बाजार में उपलब्ध निवेश की योजनाओं की सूची तैयार करे, तत्पश्चात प्रत्येक योजनाओं का निम्न बिंदुओं पर विश्लेशण करें :–

(1)	जोखिम	(Risk Factor)	– अधिक, सामान्य या कम।
(2)	धनवृद्धि की दर	(Capital Appriciation)	– निश्चित या संभावित।
(3)	तरलता	(Liquidity)	– निश्चित अवधि के लिये या कभी भी धनवापसी (Repurchase) की सुविधा।
(4)	निवेश एवं अर्जित आय पर आयकर का प्रयोजन		– निवेश राशि पर कर राहत तथा अर्जित आय कर मुक्त है या नही।

जोखिम हेतु – टर्म इन्श्योरेंश एवं धनवृद्धि /कर बचत हेतु म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प हो सकतें है।

3. निवेश कब करें ? (When to Invest ?)

(क) यदि निवेश जीवन बीमा के क्षेत्र में किया जाता है तो यथासंभव कम उम्र में ही निवेश कर लें। यदि टैक्स बचाना ही उद्देश्य हो तो परिवार के कम उम्र के सदस्यों के नाम से निवेश करने से कम प्रिमियम पर अधिक लाभ की सभावना रहती है।

(ख) यदि म्युचुअल फंड में निवेश करना हो तो सही समय का चुनाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। शेयर मार्केट जब (प्रायः वर्ष में 1–2 बार) अपने न्यूनतम स्तर के आसपास रहता है तभी म्युचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड योजनाओं में निवेश करना चाहिए।

(ग) वर्ष के प्रारंभ से ही अनुमानित आयकर का आंकलन करते हुए कर बचाने के लिये योजनाओं में निवेश समय–समय पर करते रहें जिससे वर्ष के आखिर में आयकर के भुगतान तथा निवेश दोनो का भार एक साथ न आये। SIP के के द्वारा मासिक रूप से भी कर बचत म्युचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है।

विशेष ध्यान देने योग्य – निवेश करने के पश्चात उसे भूले कदापि नही। आपके निवेश की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले समाचारों पर ध्यान अवश्य देवें जैसे – (1) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाक्रम (2) प्राकृतिक आपदायें (भूकंप, बाढ़, सूखा), (3) अर्थव्यवस्था की स्थिति एवं बजट तथा नीतिगत फैसले अर्थात् यदि आपने मध्यम/ अधिक जोखिम वाली योजनाओं में निवेश किया है तो कम से कम 1–2 सप्ताह में एक बार निवेश सलाहकार से विचार – विमर्श अवश्य करें।